संख्या-73/2022/704/001-23-9-2022-1एससीपी-2019

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़ एवं उन्नाव।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 01 अगस्त, 2022

विषय - वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 06 चालू कार्यो के अवशेष आवंटन के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा पूर्व में स्वीकृत विभिन्न जनपदों के कुल 06 चालू कार्यो हेतु स्तम्भ-10 के अनुसार रू0 1,60,51,000/- (रूपये एक करोड़ साठ लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	जिलाधिकारी का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ मूल लागत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एन-1968/2ए/ 22, दि0 05.07.2022	प्रतापगढ़	सैफाबाद अरैला मार्ग कि0मी0-5 से योगियान सं0 मार्ग।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019-07एससीपी/ 2019, दि0 09.12.2019	88.95	44.17	0.88	43.90	43.90
2	एन-1968/2ए/ 22, दि0 05.07.2022	प्रतापगढ़	सैफाबाद रायचन्द्र पट्टी भाटी मार्ग कि0मी0-5 चितईपुर संपर्क मार्ग।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019-07एससीपी/ 2019, दि0 09.12.2019	53.47	26.56	0.17	26.74	26.74
3	1404/ए-4, दि0 22.06.2021	उन्नाव	जमालपुर सम्पर्क मार्ग	04/2020/आ0-152/23-9-2019-08एससीपी/ 2019, दि0 03.01.2020	37.93	18.83	0.00	19.10	19.10
4	1404/ए-4, दि0 22.06.2021	उन्नाव	शारदा खेड़ा सम्पर्क मार्ग।	04/2020/आ0-152/23-9-2019-08एससीपी/ 2019, दि0 03.01.2020	43.73	21.71	0.00	22.02	22.02
5	1404/ए-4, दि0 22.06.2021	उन्नाव	सॉवल खेड़ा सम्पर्क मार्ग।	04/2020/आ0-152/23-9-2019-08एससीपी/ 2019, दि0 03.01.2020	46.36	23.02	0.00	23.34	23.34
6	1404/ए-4, दि0 22.06.2021	उन्नाव	धानी खेड़ा सम्पर्क मार्ग।	04/2020/आ0-152/23-9-2019-08एससीपी/ 2019, दि0 03.01.2020	50.49	25.08	0.00	25.41	25.41
	योग								160.51

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त योजनान्तर्गत निर्माणधीन कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त मार्गों के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक्पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,60,51,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892800 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-73/2022/704(1)/001-23-9-2022-1एससीपी-2019 एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़/उन्नाव।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।
6- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।
7- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।
8- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/8
11- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
13- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in